राजभाषा संकल्प, 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

संकल्प

“जब‡क संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी औरउसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदीभाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसकाविकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृतिके सब तत्वों की अभिव्यक्तिका माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एंव विकास की गति बढ़ाने केहेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोगहेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगाऔर उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वालीप्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटलपर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी केअतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है , और देश कीशैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्णविकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए:

   यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकासहेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार कियाजाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिकज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें ।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता मेंसंचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों केपरामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतकार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए :

   यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी केअतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एकको तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवंअंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्धकिया जाना चाहिए ।
4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय मेंदेश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों कापूर्णपरित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है कि-

क. कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसीकिसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजीअथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञानआवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारोंके चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतहोगा; और

ख. कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषयमें संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतरकेन्द्रीयसेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची मेंसम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने कीअनुमति होगी ।”